

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-11/2020/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/11/2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 4.530 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-826/1494, रायपुर दिनांक 13.08.2020 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-826/1862, दिनांक 20.10.2020।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कांकेर	कांकेर	चारामा	हल्बा	आरक्षित वन	215	745.111	0.5	0.037
2			कांकेर	पटौद	आरक्षित वन	84	292.228	0.5	0.015
3			कांकेर	कुलगांव	आरक्षित वन	78	458.953	0.5	0.023
4			नरहरपुर	धनेसरा	आरक्षित वन	164	689.897	0.5	0.034
5			नरहरपुर	अमोड़ा	आरक्षित वन	170	514.420	0.5	0.026
6			नरहरपुर	झलियामारी	आरक्षित वन	171	510.959	0.5	0.026
7			नरहरपुर	सोनपुर	आरक्षित वन	163	3009.222	0.5	0.150
8			नरहरपुर	धनेसरा	आरक्षित वन	161	1290.886	0.5	0.065
9			नरहरपुर	धनेसरा	आरक्षित वन	204	371.572	0.5	0.019
10			नरहरपुर	धनेसरा	आरक्षित वन	169	813.083	0.5	0.041
11			नरहरपुर	देवगांव	आरक्षित वन	173	547.234	0.5	0.027
12			नरहरपुर	दबेना	आरक्षित वन	201	328.451	0.5	0.016

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
13	कांकेर	कांकेर	नरहरपुर	दबेना	आरक्षित वन	199	468.458	0.5	0.023
14			नरहरपुर	भिरौद	आरक्षित वन	157	946.150	0.5	0.047
15			नरहरपुर	सामतरा	आरक्षित वन	207	37.428	0.5	0.002
16			नरहरपुर	सामतरा	आरक्षित वन	158	639.270	0.5	0.032
17			नरहरपुर	जाममगांव	आरक्षित वन	211	646.433	0.5	0.033
18			नरहरपुर	जाममगांव	आरक्षित वन	196	993.247	0.5	0.050
19			नरहरपुर	भानसुली	आरक्षित वन	189	851.790	0.5	0.043
20			नरहरपुर	बादल	आरक्षित वन	187	370.859	0.5	0.019
21			सरौना	दानवरखार	आरक्षित वन	148	627.085	0.5	0.031
22			सरौना	दानवरखार	आरक्षित वन	147	291.377	0.5	0.015
23			सरौना	दानवरखार	आरक्षित वन	146	207.414	0.5	0.010
24			सरौना	कुम्हारखार	आरक्षित वन	143	214.192	0.5	0.011
25			सरौना	ठेमा	आरक्षित वन	142	859.705	0.5	0.042
26			सरौना	खल्लारी	आरक्षित वन	144	903.864	0.5	0.044
27			सरौना	खल्लारी	आरक्षित वन	111	1278.691	0.5	0.064
28			सरौना	सरौना	आरक्षित वन	117	776.338	0.5	0.039
29			सरौना	चौरिया	आरक्षित वन	121	301.296	0.5	0.015
30			सरौना	दुधावा	आरक्षित वन	152	1051.872	0.5	0.053
31			सरौना	दुधावा	आरक्षित वन	153	1719.622	0.5	0.086
आरक्षित वन भूमि का योग							22757.107	0.5	1.138
32	कांकेर	कांकेर	चारामा	किशनपुरी	संरक्षित वन	233	5801.131	0.5	0.291
33			चारामा	पुरी	संरक्षित वन	234	1413.459	0.5	0.071
34			चारामा	चपेली	संरक्षित वन	236	2826.906	0.5	0.141
35			चारामा	बडेगौरी	संरक्षित वन	225	684.711	0.5	0.034
36			नरहरपुर	नरहरपुर	संरक्षित वन	191	560.665	0.5	0.028
37			नरहरपुर	नरहरपुर	संरक्षित वन	182	2051.175	0.5	0.103
38			नरहरपुर	देवीनवागाव	संरक्षित वन	180	249.624	0.5	0.012
39			सरौना	चौरिया	संरक्षित वन	123	1344.487	0.5	0.067
संरक्षित वन भूमि का योग							14932.158	0.5	0.747
40	कांकेर	कांकेर	चारामा	कोटतरा	नारंगी वन	1468	1689.039	0.5	0.084
41			चारामा	कोटतरा	नारंगी वन	1470	1057.647	0.5	0.053
42			चारामा	किशनपुरी	नारंगी वन	1532	175.202	0.5	0.009
43			चारामा	किशनपुरी	नारंगी वन	1533	1038.613	0.5	0.052
44			चारामा	किशनपुरी	नारंगी वन	1534	262.377	0.5	0.013

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
45	कांकेर	कांकेर	चारामा	गिधाली	नारंगी वन	1489	568.804	0.5	0.028
46			चारामा	गिधाली	नारंगी वन	1490	242.273	0.5	0.012
47			चारामा	गिधाली	नारंगी वन	1509	787.771	0.5	0.039
48			चारामा	गिधाली	नारंगी वन	1521	658.022	0.5	0.033
49			चारामा	पुरी	नारंगी वन	1494	2342.979	0.5	0.117
50			चारामा	डोकला	नारंगी वन	1479	314.625	0.5	0.016
51			चारामा	चारामा	नारंगी वन	1473	175.966	0.5	0.009
52			चारामा	चारामा	नारंगी वन	1474	1168.944	0.5	0.058
53			चारामा	गोलकुम्हडा	नारंगी वन	1426	688.898	0.5	0.034
54			चारामा	लखनपुरी	नारंगी वन	1451	270.574	0.5	0.014
55			कांकेर	कुलगांव	नारंगी वन	387	247.345	0.5	0.012
56			कांकेर	कुलगांव	नारंगी वन	392	876.825	0.5	0.044
57			नरहरपुर	धौराभाठा	नारंगी वन	1411	234.083	0.5	0.012
58			नरहरपुर	धनेसरा	नारंगी वन	505	996.12	0.5	0.05
59			नरहरपुर	धनेसरा	नारंगी वन	507	154.418	0.5	0.008
60			नरहरपुर	बुदेली	नारंगी वन	452	512.701	0.5	0.026
61			नरहरपुर	कुरना	नारंगी वन	562	210.102	0.5	0.011
62			नरहरपुर	मासुलपानी	नारंगी वन	517	3263.723	0.5	0.163
63			नरहरपुर	मासुलपानी	नारंगी वन	528	490.816	0.5	0.025
64			नरहरपुर	मासुलपानी	नारंगी वन	1401	580.058	0.5	0.029
65			नरहरपुर	किशनपुरी	नारंगी वन	560	360.584	0.5	0.018
66			नरहरपुर	किशनपुरी	नारंगी वन	561	987.623	0.5	0.049
67			नरहरपुर	सामतरा	नारंगी वन	479	256.476	0.5	0.013
68			नरहरपुर	सुरही	नारंगी वन	593	1551.708	0.5	0.078
69			नरहरपुर	सुरही	नारंगी वन	1405	1325.588	0.5	0.066
70			नरहरपुर	डब्बीपानी	नारंगी वन	471	1252.218	0.5	0.062
71			नरहरपुर	दबेना	नारंगी वन	493	1598.629	0.5	0.08
72			नरहरपुर	दबेना	नारंगी वन	498	649.809	0.5	0.032
73			नरहरपुर	देवीनवागाव	नारंगी वन	574	1275.321	0.5	0.064
74			नरहरपुर	देवीनवागाव	नारंगी वन	577	1575.553	0.5	0.079
75			नरहरपुर	देवगांव	नारंगी वन	508	734.385	0.5	0.037
76			नरहरपुर	देवगांव	नारंगी वन	510	1862.984	0.5	0.093
77			नरहरपुर	देवगांव	नारंगी वन	514	354.954	0.5	0.018

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
78	कांकेर	कांकेर	नरहरपुर	चनार	नारंगी वन	449	708.08	0.5	0.035
79			नरहरपुर	चनार	नारंगी वन	450	409.064	0.5	0.02
80			नरहरपुर	जाममगांव	नारंगी वन	472	3385.905	0.5	0.169
81			नरहरपुर	जाममगांव	नारंगी वन	482	229.699	0.5	0.011
82			नरहरपुर	जाममगांव	नारंगी वन	483	1317.377	0.5	0.066
83			नरहरपुर	जाममगांव	नारंगी वन	484	266.16	0.5	0.013
84			नरहरपुर	नरहरपुर	नारंगी वन	590	2816.244	0.5	0.141
85			नरहरपुर	अमोड़ा	नारंगी वन	530	600.572	0.5	0.03
86			नरहरपुर	अमोड़ा	नारंगी वन	544	1100.113	0.5	0.055
87			सरौना	कुम्हारखार	नारंगी वन	408	113.988	0.5	0.006
88			सरौना	दुधावा	नारंगी वन	427	375.412	0.5	0.019
89			सरौना	दुधावा	नारंगी वन	428	569.334	0.5	0.028
90			सरौना	दुधावा	नारंगी वन	429	316.937	0.5	0.016
91			सरौना	लेण्डारा	नारंगी वन	406	32.165	0.5	0.002
92			सरौना	लेण्डारा	नारंगी वन	412	152.716	0.5	0.008
नारंगी वन भूमि का योग							45187.523	0.5	2.259
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	कांकेर	कांकेर	चारामा	बडेगौरी	राजस्व वन	249	249.533	0.5	0.012
2			चारामा	बडेगौरी	राजस्व वन	322	98.663	0.5	0.005
3			चारामा	बडेगौरी	राजस्व वन	543	305.903	0.5	0.015
4			चारामा	कोटरा	राजस्व वन	1343	42.187	0.5	0.002
5			चारामा	गिधाली	राजस्व वन	177	175.94	0.5	0.009
6			चारामा	गिधाली	राजस्व वन	182	399.058	0.5	0.02
7			चारामा	गिधाली	राजस्व वन	374	143.15	0.5	0.007
8			चारामा	गिधाली	राजस्व वन	379	158.514	0.5	0.008
9			चारामा	पुरी	राजस्व वन	500	40.38	0.5	0.002
10			चारामा	पुरी	राजस्व वन	559	104.373	0.5	0.005
11			चारामा	डोकला	राजस्व वन	251	19.362	0.5	0.001
12			चारामा	चपेली	राजस्व वन	634	205.969	0.5	0.011
13			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1009	54.313	0.5	0.003
14			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1011	14.036	0.5	0.001
15			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1015	36.061	0.5	0.002

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
16	कांकेर	कांकेर	चारामा	चारामा	राजस्व वन	1018	10.162	0.5	0.001
17			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1020	163.834	0.5	0.008
18			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1019/1	10.205	0.5	0.001
19			चारामा	चारामा	राजस्व वन	1019/2	41.846	0.5	0.002
20			नरहरपुर	धौराभाठा	राजस्व वन	165	16.702	0.5	0.001
21			नरहरपुर	बांसपत्तर	राजस्व वन	89	300.32	0.5	0.015
22			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	84	216.036	0.5	0.011
23			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	780	169.814	0.5	0.008
24			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	785	67.716	0.5	0.003
25			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	786	24.553	0.5	0.001
26			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	787	22.254	0.5	0.001
27			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	793	65.54	0.5	0.003
28			नरहरपुर	बादल	राजस्व वन	767/1	277.936	0.5	0.014
29			नरहरपुर	कुम्हारखार	राजस्व वन	517	18.202	0.5	0.001
30			नरहरपुर	कुम्हारखार	राजस्व वन	519	62.093	0.5	0.003
31			नरहरपुर	कुम्हारखार	राजस्व वन	520	36.456	0.5	0.002
32			नरहरपुर	कुम्हारखार	राजस्व वन	521	42.787	0.5	0.002
33			नरहरपुर	कुम्हारखार	राजस्व वन	590	45.974	0.5	0.002
34			नरहरपुर	मासुलपानी	राजस्व वन	66	161.526	0.5	0.008
35			नरहरपुर	मासुलपानी	राजस्व वन	111	14.578	0.5	0.001
36			नरहरपुर	मासुलपानी	राजस्व वन	314/1	33.11	0.5	0.002
37			नरहरपुर	किशनपुरी	राजस्व वन	632	251.548	0.5	0.013
38			नरहरपुर	किशनपुरी(पैंडो)	राजस्व वन	610	162.581	0.5	0.008
39			नरहरपुर	किशनपुरी(पैंडो)	राजस्व वन	611	55.632	0.5	0.003
40			नरहरपुर	किशनपुरी(पैंडो)	राजस्व वन	632	165.789	0.5	0.009
41			नरहरपुर	भिरौद	राजस्व वन	481	142.943	0.5	0.007
42			नरहरपुर	भानसुली	राजस्व वन	336/1	73.082	0.5	0.004
43			नरहरपुर	सोनपुर	राजस्व वन	37	44.442	0.5	0.002
44			नरहरपुर	सोनपुर	राजस्व वन	57	57.539	0.5	0.003
45			नरहरपुर	सोनपुर	राजस्व वन	76	54.634	0.5	0.003
46			नरहरपुर	सोनपुर	राजस्व वन	250	16.212	0.5	0.001
47			नरहरपुर	सोनपुर	राजस्व वन	252	34.702	0.5	0.002
48			नरहरपुर	सोनपुर	राजस्व वन	293	9.818	0.5	0.001
49			नरहरपुर	उमरदाह	राजस्व वन	159	30.445	0.5	0.002

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
50	कांकेर	कांकेर	नरहरपुर	उमरदाह	राजस्व वन	1063/1	524.863	0.5	0.026
51			नरहरपुर	देवीनवागाव	राजस्व वन	620	96.067	0.5	0.005
52			नरहरपुर	देवरीबलाजी	राजस्व वन	402	40.281	0.5	0.002
53			नरहरपुर	देवरीबलाजी	राजस्व वन	403	459.922	0.5	0.023
54			नरहरपुर	चनार	राजस्व वन	901	159.066	0.5	0.008
55			नरहरपुर	चनार	राजस्व वन	973	108.348	0.5	0.005
56			नरहरपुर	चनार	राजस्व वन	976	75.853	0.5	0.004
57			नरहरपुर	जाममगांव	राजस्व वन	385	366.437	0.5	0.018
58			नरहरपुर	जनुबानी	राजस्व वन	232	111.956	0.5	0.006
59			नरहरपुर	जनुबानी	राजस्व वन	700	12.504	0.5	0.001
60			नरहरपुर	जनुबानी	राजस्व वन	1309	38.491	0.5	0.002
61			नरहरपुर	नरहरपुर	राजस्व वन	1375	69.849	0.5	0.003
62			नरहरपुर	नरहरपुर	राजस्व वन	1421	146.279	0.5	0.007
63			नरहरपुर	अमोड़ा	राजस्व वन	1271/1	132.215	0.5	0.007
64			नरहरपुर	लेण्डारा	राजस्व वन	155	192.877	0.5	0.01
65			नरहरपुर	लेण्डारा	राजस्व वन	763	153.747	0.5	0.008
राजस्व वन भूमि का योग							7637.208	0.5	0.386
कुल योग							90513.996 (90.513 K.M.)	0.5	4.530

उक्त 90.513 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 4.530 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.138 हे., संरक्षित वन भूमि 0.747 हे. नारंगी क्षेत्र 2.259 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.386 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।

9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा ।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को प्रेषित करेंगे ।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को निवेदन करेंगे ।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,



(अभिषेक कुमार सिंह)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/11/2020

पृष्ठांक/एफ-5-11/2020/10-2
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्र), भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. ।
 3. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छ.ग.) ।
 4. वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल, कांकेर (छ.ग.) ।
 5. आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

o/c